सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 273 राँची, गुरुवार

10 वैशाख, 1937 (श०)

30 अप्रैल, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

27 अप्रैल, 2015

संख्या- 5/आरोप-1-73/2014 का॰ 3861 -- श्री ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा, सेवानिवृत्त झा0प्र0से0 के अंचलाधिकारी, शिकारीपाड़ा एवं रानेश्वर, दुमका के कार्यावधि में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों को कम राशि का भुगतान करने, भुगतान पंजी/रोकड़-बही का अद्यतन संधारण नहीं करने, अतिवृष्टि से प्रभावित ग्रामों में राहत सामग्री का वितरण नहीं करने, अवैध उत्खनन, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने संबंधी आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं0-605, दिनांक 04 फरवरी, 2008 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49क के तहत् निलंबित किया गया था एवं विभागीय आदेश सं0-6623, दिनांक 04 दिसम्बर, 2008 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया ।

2. शिकारीपाड़ा (दुमका) थाना कांड सं0-30/07, दिनांक 27 फरवरी, 2007 धारा-400/420/467/468/471 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज गंभीर आरोपों के लिए श्री ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के कार्यावधि में दुमका पुलिस द्वारा दिनांक 07 मई, 2009 को

गिरफ्तार कर जेल में बंदी बना लिये जाने के अभियोग में जेल जाने की तिथि 07 मई, 2009 से जेल से रिहा होने की तिथि 20 अगस्त, 2009 तक के लिए श्री सिन्हा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-99 के तहत् विभागीय आदेश सं0-6893, दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 द्वारा निलंबित किया गया ।

3. शिकारीपाड़ा (दुमका) थाना कांड सं0-30/07, दिनांक 27 फरवरी, 2007 धारा-400/420/467/468/471 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज गंभीर आरोपों के लिए श्री ब्रजशंकर प्रसाद सिन्हा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, दुमका के कार्यावधि में उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-100 के अंतर्गत विभागीय आदेश सं0-6894, दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 द्वारा पुनः निलंबित किया गया तथा विभागीय आदेश सं0-5297, दिनांक 03 सितम्बर, 2010 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया ।

4. इस प्रकार, श्री सिन्हा (i) दिनांक 04 फरवरी, 2008 से दिनांक 03 दिसम्बर, 2008, (ii) दिनांक 07 मई, 2009 से दिनांक 20 अगस्त, 2009 एवं (iii) दिनांक 19 अक्टूबर, 2009 से 02 सितम्बर, 2010 तक निलंबित रहे ।

5. विषयगत आरोपों हेतु विभागीय संकल्प सं0-413, दिनांक 15 जनवरी, 2014 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-49-4(क) के तहत् श्री सिन्हा को अनिवार्य सेवानिवृत्त करते हुए इनके पेंशन से 30 (तीस) प्रतिशत राशि की कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया है ।

अतः कंडिका-4 में वर्णित निलंबन अवधियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97(1)(5) के अंतर्गत निम्नवत् विनियमित किया जाता है:-

(क) निलंबन अवधियों में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी देय नहीं होगा।

(ख) निलंबन अवधियों को पेंशन की गणना हेतु कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रमोद कुमार तिवारी,
सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 273—50 ।